



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई.ई.टी. परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

फोन: 0522-2732193, फैक्स-0522-2732185

पत्रांक: 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2008/16628-3)

दिनांक: 2-9-2008

सेवा में,

निदेशक,

एच.बी.टी.आई.,

कानपुर।

विषय: एच.बी.टी.आई., कानपुर को शैक्षिक स्वायत्तता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2467/सोलह-1-2008-8(9)/2006 दिनांक 8 अगस्त 2008 द्वारा निर्गत निर्देशों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या: एफ-22-1/2008(एसी) दिनांक 27 फरवरी 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि एच.बी.टी.आई. को यू.जी.सी. द्वारा वर्ष 2008-09 से वर्ष 2013-14 तक दी गई शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान करने पर संस्था की अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद (मा0 राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, प्राविधिक शिक्षा विभाग) द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिये जाने के फलस्वरूप यू.जी.सी. की शैक्षिक स्वायत्तता विषयक गाइड लाइन के अन्तर्गत कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति महोदय के अनुमोदन से एच.बी.टी.आई., कानपुर को शैक्षिक वर्ष 2008-09 से तदनुसार शैक्षिक स्वायत्तता इस आशय के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था स्तर से इस परिपेक्ष्य में यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा भी समय-समय पर तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

भवशील

(यू एसओ तोमर)

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/महामहिम कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ को शासनादेश सं0 2467/सोलह-1-2008-8(9)/2006 दिनांक 8 अगस्त, 2008 के संदर्भ में।
3. स्टाफ आफिसर, मा0 कुलपति 30प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

D. B. No 1366/UPIU/08
Date 03.09.08

(यू एसओ तोमर)

कुलसचिव